अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 26/2005
डिक्री जारी दिनांक : 05.12.2024

उनवान

रामनारायण (फौत)

1/1 जगदीश नारायण

1/2 रामकल्याण पुत्रान स्व. रामनारायण

1/3 शांति देवी

1/4 चन्दा देवी

1/5 मगन देवी पुत्रियान स्व. रामनारायण

समस्त जाति ब्राहमण,. निवासी ग्राम गंवार ब्राहमणान तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

रामावतार

रामकिशन

सोहनलाल पुत्रान स्व. श्री बजरंग लाल

मु. गीता बेवा बंजरगलाल

समस्त जाति ब्राहमण, निवासी शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार सांगानेर जयपुर।

सरपंच ग्राम पंचायत दादिया तहसील सांगानेर जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगणं मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायोचित व युक्तिसंगत आंशिक रूप से वादीगण का वाद आराजी खसरा नंबर 809 रकबा 0.06 हेक्टयर, खसरा नंबरं 810 रकबा 0.10 हेक्टयर वाके ग्राम गंवार ब्राहमणान तहसील सांगानेर जिला जयपुर में घीसा पुत्र कल्याण की विरासत का

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नामान्तकरण नियमानुसार खोलने की हद तक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियमानुसार नामातकरण की कार्यवाही करें, वाद पत्र फैसल कर खारिज किया जाता है। वाद पत्र में अंकित शेष अनुतोष फैसल कर खारिज किया जाता है।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.12.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दस्तखत

मुहर

ओहदा .....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फ़ार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र : 26/2005
निर्णय दिनांक: 05.12.2024

उनवान

रामनारायण (फौत)
1/1 जगदीश नारायण
1/2 रामकल्याण पुत्रान स्व. रामनारायण
1/3 शांति देवी
1/4 चन्दा देवी
1/5 भगन देवी पुत्रियान स्व. रामनारायण
समस्त जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम गंवार ब्राहमणान तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

मावतार
मकिशन
हनलाल पुत्रान स्व. श्री बजरंग लाल
गीता बेवा बंजरगलाल
मस्त जाति ब्राहमण, निवासी शिकारपुरा तहसीलं सांगानेर जिला जयपुर।
जस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार सांगानेर जयपुर।
रपंच ग्राम पंचायत दादिया तहसील सांगानेर जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक: 05.12.2024

वादी की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादी की कब्जाकाश्त भूमि ोठी) खसरा नंबर 809 रकबा 0.06 हेक्टयर, खसरा नंबर 810 रकबा 0.10 हेक्टयर जिसके । खसरा नंबर 374 रकबा 7 बिस्वा ग्राम गंवार ब्राहमणान तहसील सांगानेर जिला जयपुर में श्त है जिस पर वादी बदस्तूर अपने पूर्वजो से काबिज चला आ रहा है व आज भी वादी ही क भूमि व कोठी पर काबिज काश्त है। उक्त खसरा नंबर की भूमि गलती से प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...र्वज स्व० श्री घासी पुत्र कल्याण के नाम राजस्व रिकार्ड में होने के कारण स्व० घासी ने ...वादी बाबत इस्तकरार हक का मान्य न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर के यहा वादी व ... के पिता गोपी के नाम से मुकदमा नंबर 328/64 का दायर किया था। जिसमें स्व० ...ी तथा वादी व वादी के पिता के मध्य राजीनामा होकर मान्य न्यायालय ने उक्त खसरा ... 374 रकबा 7 बिस्वा कोठी की दिनांक 7 9.1965 में फैसला दिया है। उक्त दिनांक के ...से घासी व वादी के पिता उक्त खसरा नंबर 374 पर काबिज काश्त थे व लगातार ...बिजकाश्त चले आ रहे है। माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर के निर्णय के बाद ...ी ने उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम तस्दीक यह सोचकर नहीं करवाया कि उक्त ... पर अपना कब्जा है और कभी भी उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अमल करवा ...। स्व० घासी अविवाहित था उसके कोई कानूनी वारिस नहीं होने से घासी की मृत्यु पश्चात ...ी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 स्व० ...सी के वारिस बनकर उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम खुलवाने की कोशिस में लगे ... है तथा हल्का पटवारी को स्व० घासी के वारिसान होने का प्रमाण पत्र देकर उक्त भूमि ... नामान्तकरण खुलवाने की कोशिश में हैं। उक्त भूमि वादी के कब्जेकाश्त में अपने स्व० ...ता गोपी के समय से ही चली आ रही है तथा मान्य न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर ने ...० घासी द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर उक्त भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में लगाने की ...ीकृति दी है। वादी उक्त भूमि पर अर्सेदराज से काबिज काश्त होने के कारण उक्त भूमि की ...तेदारी अपने नाम घोषित करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादी की उक्त भूमि राजस्व ...कार्ड में दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादीगण स्व० श्री घासी के वारिस बनकर उक्त भूमि ... अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिये प्रतिवादी नंबर 5 तहसीलदार सांगानेर ...प्रतिवादी नंबर 6 सरपंच ग्राम पंचायत दादिया के सम्पर्क में लगे हुये है इस कारण प्रतिवादी ...बर 5 व 6 को वादी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के लिये उक्त वाद बाबत स्थायी ...षेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है। बाद कारण दिनांक 18/02/2005 को प्रतिवादीगण लगायत 4 द्वारा हल्का पटवारी से मिलकर उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम राजस्व ...कार्ड में दर्ज करने के लिये प्रार्थना पत्र देने पर उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार है डिक्री फरमाया जावे कि ...सरा नंबर 809 रकबा 0.06 हेक्टयर खसरा नंबर 810 रकबा 0.10 हेक्टयर कुल किता दो ...ल रकबा 0.16 हेक्टयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नबर 5 व ... को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि वो उक्त खसरा नंबरान का नामान्तकरण ...तिवादी 1 लगायत 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नही करे ।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगा...)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये
उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब पेश ।
वादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से पेश जवाब का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि
पत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित अभिवचनों में से मात्र कृषि ज्न्ट।डम्छ भूमि खसरा नम्बर
रकबा 0.06 हैक्टेयर खसरा नम्बर 810 रकबा 010 हैक्टेयर जिसके गत खसरा नम्बर
रकबा 07 बीस्वा ग्राम गंवार ब्राह्मणान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित होने
अभिवचन सही होने से स्वीकार है। शेष अभिवचन गलत, असत्य, अस्पष्ट व आधारहीन
से अस्वीकार है। ग्राम गवार ब्राह्मणान, तहसील सांगानेर में स्थित साबिक खसरा नम्बर
की खातेदारी मिन प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार के हकपूर्वाधिकारी घासी पुत्र
ल्याण के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है तथा भू–प्रबन्ध संक्रियाएं 1989–2009 तक
क खसरा नम्बर के परिवर्तित खसरा नम्बर 809 व 810 की खातेदारी भी घासी पुत्र कल्याण
नाम भू–राजस्व अभिलेखों में अंकित है। तथा वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में मिन प्रतिवादीगण
हकपूर्वाधिकारी घासी पुत्र कल्याण का तथा उनके देहान्त के पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या
क लगायत चार का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में
कित है। उक्त वाद गलत, असत्य, अस्पष्ट, भ्रामक होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण के
कपूर्वाधिकारी स्व० घासी ने एक वाद बाबत् इस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई वादी एवं वादी
; हकपूर्वाधिकारी गोपी व अन्य के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर के यहां प्रस्तुत
या जो कि दिनांक " 07.09.1965 को बिना किसी फैसले विनिश्चय के दाखिल दफ्तर
रमा दिया गया। वादी व वादी के हकपूर्वाधिकारी पिता के मध्य किसी प्रकार का कोई
धिवत राजीनामा नहीं हुआ और ना ही कथित राजीनामा के आधार पर न्यायालय सहायक
लेक्टर जयपुर के द्वारा कोई फैसला दिया गया। दिनांक 07:09.1965 के पूर्व से वादी एवं
ादी के पिता का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं था और ना ही लगातार काबिज काश्त
ले आ रहे है। बल्कि वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में मिन प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी घासी
का और उनके देहात के पश्चात् मिन प्रतिवादीगण साधिकार काबिज होकर उपयोग उपभोग
कर रहे है। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में अंकित है। उक्त वर्णित कथन गलत, असत्य,
अस्पष्ट, भ्रामक व आधारहीन होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय
यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर ने वादी अथवा वादी के पिता अथवा वादी के भाई काना
व रामेश्वर के हक में कोई निर्णय एवं डिक्री पारित नहीं की गई, और ना तो वादी का
वादग्रस्त भूमि पर वादी का पूर्व में कब्जा था और नाही आज है। ऐसी अवस्था में वादी के
द्वारा वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम तस्दीक कराने का एवं राजस्व अभिलेख में
अंकन करवाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वादी के द्वारा कब्जा प्राप्त करने के

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...निक अनुतोष चाहे बिना वादी का वाद चलने योग्य नही है। उक्त वाद गलत, असत्य, ...क, अस्पष्ट, मनगंढत व आधारहीन होने से अस्वीकार है। उल्लेखनीय है कि वादी ने स्वयं ...द के पैरा. संख्या दो मे अंकित कर स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व० ...सी ने वादी के पिता गोपी के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर के न्यायालय में ...कथित वाद दायर किया तथा उनके मध्य तथाकथित राजीनामा होने का कथन भी अंकित ...या। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार का स्व० घासी का वारिस नहीं ... का कोई प्रश्न ही उत्पन्न होता है। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में अंकित है। उक्त ...त अभिवचन गलत, असत्य भ्रामक, अस्पष्ट, मनगंढत व आधारहीन होने से अस्वीकार है। ...यालय सहायक कलेक्टर जयपुर के यहा प्रस्तुत वाद को दिनांक 07.09.1965 को बिना ...सी फैसले के दाखिल दफ्तर फरमा दिया गया। वादी व वादी के हकपूर्वाधिकारी पिता के ...य किसी प्रकार का कोई विधिवत राजीनामा नहीं हुआ और ना ही कथित राजीनामा के ...धार पर न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर के द्वारा कोई फैसला दिया गया। वादी का ...क भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही उक्त भूमि वादी के नाम ...जस्व रिकार्ड में लगाने की स्वीकृति प्रतिवादीगण के पूर्वज अथवा प्रतिवादीगण ने वादी को ... है। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में अंकित है। वाद में वर्णित अभिवचन गलत, असत्य, ...मक, अस्पष्ट, मनगंढत व आधारहीन होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत ...र स्व० घासी के कानूनन जायज वारिसान् होने से उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम ...जस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु अधिकारी है। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में अकित ...। वाद में वर्णित अभिवचन गलत, असत्य, भ्रामक, अस्पष्ट, मनगंढ़त व आधारहीन होने से ...स्वीकार है। वादी ने वादकारण उत्पन्न होने का स्पष्ट अंकित नहीं किया है। मिन प्रतिवादीगण ...धिकार नामान्तकरण शुद्ध करवाने के अधिकारी है। वाद में वर्णित अभिवचन गलत, असत्य, ...ामक, अस्पष्ट, मनगंढ़त व आधारहीन होने से अस्वीकार है। वादी को किसी प्रकार का वाद ...ारण उत्पन्न नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में वाद का अन्दर मियाद पेश किया जाने का ...श्न ही उत्पन्न नहीं होता है। साबिक खसरा नम्बर 374 के नये परिवर्तित खसरा नम्बर 809 ...कबा 0.06 हैक्टेयर वं खसरा नम्बर 810 रकबा 0.10 हैक्टेयर बने। प्रतिवादीगण के ...हकपूर्वाधिकारी स्व० घासी ने एक बाद बाबत इस्तकरारहक व हुक्म इस्तनाई वादी एवं वादी ...के हकपूर्वाधिकारी गोपी व अन्य के विरूद्ध न्यायालयं सहायक कलेक्टर जयपुर के यहां प्रस्तुत ...किया जो कि दिनांक 07.09.1965 को बिना किसी फैसले के दाखिल दफ्तर फरमा दिया ...गया। वादी व वादी के हकपूर्वाधिकारी पिता के मध्य किसी प्रकार का कोई विधिवत् राजीनामा ...नहीं हुआ और ना ही कथित राजीनामा के आधार पर न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर के ...द्वारा कोई फैसला दिया गया। वादी एवं वादी के पिता का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...का और ना ही लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में स्व० ...का तथा इनकी मृत्यु के पश्चात् मिन प्रतिवादीगण का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। ...ने केवल राजीनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि को स्वयं के कब्जे काश्त की होना ...त किया है। वादी व वादी के हकपूर्वाधिकारी पिता के मध्य किसी प्रकार का कोई विधिवत् ...नामा नही हुआ और ना ही कथित राजीनामा के आधार पर न्यायालय सहायक कलेक्टर ...पुर के द्वारा कोई फैसला दिया गया। किन्तु वादी ने कथित राजीनामा के आधार पर वादी ...र्तित हाल खसरा नम्बर 809 व 810 रकबा 0.16 हैक्टेयर सम्पूर्ण को स्वयं की कब्जे ...त की भूमि कहते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद माननीय न्यायालय में संस्थित किया ...कि प्रतिवादीगण के अधिकारो के विपरीत होने से प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है। ...तविकता यह है कि साबिक खसरा नम्बर 374 अथवा हाल परिवर्तित खसरा नम्बर 809 व ... सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग पर वादी अथवा वादी के हकपूर्वाधिकारी का ना तो ...जा-काश्त था और ना ही लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी के द्वारा वाद में ...जे का परिणामिक अनुतोष नही चाहा गया है इसलिए वाद परिणामिक अनुतोष के अभाव ...चलने योग्य नही है।

वकील उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील वादीगण व ...वादीगण की ओर से लिखित बहस पेश की गयी।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपांत अवलोकन करने व लिखित बहस ...यपक्षकारान अधिवक्तागण एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे ...कि वादीगण हाल आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 809 रकबा 0.06 हेक्टयर खरारा नंबर ... रकबा 0.10 हेक्टयर कुल किता दो कुल रकबा 0.16 हेक्टयर वर्तमान जमाबन्दी वाके ग्राम ...र ब्राम्हणान मे घीसा पुत्र कल्याण कोम ब्राम्हण सा. देह शिकारपुरा के नाम दर्ज है। वादी ... कथन है कि घासी ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर में मुकदमा नम्बर ...7/1964 उनवानी घासी बनाम गोपी व अन्य में राजीनाम पेश किया गया था। उक्त वाद ... निर्णय दिनांक 17.06.1964 को वाद में राजीनामा तस्दीक कर वाद को दाखिल दफ्तर ...या गया । वाद में न्यायालय द्वारा डिक्री पारित नही की गयी है। जबकि वादी को वाद में ...यालय सहायक कलक्टर जयपुर के यहां राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित करानी ...हिये थी। चुकि वाद मे वादी रसीद के आधार पर खरीदी गयी भूमि को अपने नाम खातेदारी ...प्त करने का अधिकार नही रखता है, क़ब्जे के आधार पर भी यह न्यायालय वाद को डिक्री ...ही दे सकता हैं। चुकि खातेदार घासी पुत्र कल्याण स्वर्गवास दिनांक 18.09.1979 को हो ...का है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (...)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को घीसा पुत्र कल्याण की विरासत का नामात्करण नियमानुसार खोलने वादी का वाद को खारिज किया जाना उचित समझते है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य व अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी की लिखित बहस का मनन, गौर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायोचित व युक्तिसंगत आंशिक रूप से वादीगण का वाद राजी खसरा नंबर 809 रकबा 0.06 हेक्टयर, खसरा नंबर 810 रकबा 0.10 हेक्टयर वाके म गंवार ब्राहमणान तहसील सांगानेर जिला जयपुर में घीसा पुत्र कल्याण की विरासत का मान्तकरण नियमानुसार खोलने की हद तक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को देश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण को समुचित सुनवाई का अवसर न कर नियमानुसार नामातकरण की कार्यवाही करें, वाद पत्र फैसल कर खारिज किया ता है। वाद पत्र में अंकित शेष अनुतोष फैसल कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर